बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

—: संकल्प :—

संचिका संख्या :—पर्य०वि०(स्था०)—31/2014 खण्ड— IV 1017 / दिनांक 21-3-2025

विषयः— बिहार पर्यटन नीति 2023 में संशोधन किये जाने के संबंध में।

राज्य में पर्यटन प्रक्षेत्र के समग्र समावेशी विकास, आधारभूत संरचनागत निर्माण तथा निवेश को व्यापक प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार पर्यटन नीति 2023 विभागीय संकल्प संख्या— 2825 दिनांक— 27.12.2023 के द्वारा निर्गत किया गया था। इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन, व्यापक स्वीकार्यता तथा अधिक से अधिक संख्या में निवेशकों को आकर्षित करने हेतु पर्यटन नीति 2023 के कतिपय कंडिकाओं/अनुलग्नकों में वर्णित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। साथ ही पर्यटन प्रक्षेत्र से जुड़े कर्मियों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु दो नयी कंडिकाएँ नीति में शामिल की गई है, पर्यटन नीति 2023 के शेष अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

2. (क) बिहार पर्यटन नीति 2023 में किये गये संशोधन :—

क्र.	नीति में पूर्व के प्रावधान	संशोधित नीति के प्रावधान
1	**अनुलग्नक—1 में उल्लेखित परियोजना श्रेणी।** नए होटल/रिसॉर्ट/हेरिटेज होटल का विकास (4 सितारा और उससे ऊपर की श्रेणी की संपत्तियों के लिए) — न्यूनतम परियोजना लागत (भूमि लागत को छोड़कर) 10.00 करोड़ है।	**अनुलग्नक —1 — पात्र पर्यटन परियोजनाएँ** • नये होटल/रिसॉट/हेरिटेज होटल का विकास निम्नानुसार होगा— I. बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों यथा— पटना, गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के लिए — (क) न्यूनतम 4—सितारा और उससे ऊपर के श्रेणी की संपत्तियां। (ख) न्यूनतम परियोजना लागत (भूमि लागत को छोड़कर) — 10.00 करोड़ रुपये। II. अन्य जिला मुख्यालय शहरों के लिए—

		(क) न्यूनतम 3–सितारा और उससे ऊपर के श्रेणी की संपत्तियां। (ख) न्यूनतम परियोजना लागत (भूमि लागत को छोड़कर) – 7.50 करोड़ रुपये। III. उपरोक्त के अतिरिक्त बिहार के अन्य शहरो एवं स्थानों के लिए– (क) न्यूनतम 2–सितारा और उससे ऊपर के श्रेणी की संपत्तियां। (ख) न्यूनतम परियोजना लागत (भूमि लागत को छोड़कर) – 5.00 करोड़ रुपये।
2	**7.5 (C) एसजीएसटी की प्रतिपूर्तिः–** स्वीकृत परियोजना लागत के 100% की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत एसजीएसटी के 80% की प्रतिपूर्ति। वाणिज्यिक परिचालन (सीओडी) की तिथि से 05 (पाँच) वर्षों तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।	**7.5 (C) एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति :–** स्वीकृत परियोजना लागत के 100% की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत एसजीएसटी के 80% की प्रतिपूर्ति। पात्र पर्यटन परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक संचालन (सीओडी) की तिथि से 07(सात) वर्षों तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।
3	7.1 (i) इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र परियोजनाओं को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 या किसी अन्य राज्य सरकार की नीति/योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	7.1 (i) इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र परियोजनाओं को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 या किसी अन्य राज्य सरकार की नीति/योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। – इस नीति के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ प्रोत्साहनों को परस्परानुबंधन किये जाने की अनुमति होगी। निवेशक द्वारा भारत सरकार की किसी योजना, जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा हो या जो राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़ा हुआ है, के

		तहत प्राप्त/प्राप्त किए जाने वाले अनुदान के मामले में, इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन की गणना हेतु अनुमोदित परियोजना लागत का निर्धारण केंद्रीय योजना के तहत प्रदत्त प्रोत्साहनों के अनुरूप परियोजना लागत को घटाकर किया जायेगा।
4	**7.4.3. नीति के अंतर्गत अतिरिक्त** सब्सिडी– धारा 7.4.1. में सभी परियोजना श्रेणियों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के अतिरिक्त 5% पूंजी सब्सिडी या ब्याज अनुदान निम्नलिखित दो मामलों में प्रदान किया जायेगा :– प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों यानी गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली और वाल्मिकी टाइगर रिजर्व पर परियोजनाएं।	**7.4.3. नीति के अंतर्गत अतिरिक्त** सब्सिडी – धारा 7.4.1. में सभी परियोजना श्रेणियों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के अतिरिक्त 5% पूंजी सब्सिडी या ब्याज अनुदान निम्नलिखित दो मामलों में प्रदान किया जायेगाः– प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों पर क्रियान्वित परियोजनाओं के संबंध में :– 1. गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर – नगरपालिका क्षेत्र और नगरपालिका सीमा के बाहर 5 किमी के दायरे में क्षेत्र। 2. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व – बफर जोन के बाहर अधिकतम 5 किमी की परिधि।
5	7.2 **पात्र परियोजना श्रेणियाँ** :– (ए) पात्र पर्यटन परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक–1 में दिया गया है। इन परियोजनाओं को नीति के तहत प्रोत्साहन और सब्सिडी के लिए चिन्हित किया गया है। पात्र पर्यटन परियोजनाओं की सूची नीति अवधि के दौरान पर्यटन विभाग, बिहार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम	7.2 **पात्र परियोजना श्रेणियाँ** :– (ए) पात्र पर्यटन परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक–1 में दिया गया है। इन परियोजनाओं को नीति के तहत प्रोत्साहन और सब्सिडी के लिए चिन्हित किया गया है। पात्र पर्यटन परियोजनाओं की सूची नीति अवधि के दौरान पर्यटन विभाग, बिहार द्वारा

(7)

	से परिवर्तन के अधीन है। (बी) इस नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी परियोजनाएं बिहार राज्य के भीतर स्थापित होनी चाहिए।	जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से परिवर्तन के अधीन है। (बी) इस नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी परियोजनाएं बिहार राज्य के भीतर स्थापित होनी चाहिए। (सी) पात्र पर्यटन परियोजनाओं में बिहार सरकार की किसी एजेंसी/ विभाग/ प्राधिकरण के साथ पीपीपी मोड में संचालित परियोजनाएं भी शामिल होंगी। ये परियोजनाएं पर्यटन नीति 2023 और पर्यटन नीति मार्गदर्शिका 2024 में उल्लेखित नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन इस नीति के तहत अनुमान्य प्रोत्साहन का लाभ उठाने हेतु पात्र होंगी।

(ख) **नयी शामिल कंडिकाएँ :–**

क्र.	नया खंड
1	**7.5 (i) ईपीएफ/ईएसआई में नियोक्ता के अंशदान की प्रतिपूर्ति** – पात्र नई पर्यटन परियोजनाओं को 05 (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए ईएसआई और ईपीएफ योजना में नियोक्ता अंशदान के लिए व्यय का 100% अथवा 3,000/– रूपये प्रति कर्मी, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति। यह प्रतिपूर्ति बिहार के निवासियों के संबंध में ही अनुमान्य होगा।
2	**7.5 (j) दिव्यांगों को रोजगार के लिए प्रतिपूर्ति :–** दिव्यांगों को रोजगार प्रदान करने वाली पात्र पर्यटन परियोजनाओं को प्रति परियोजना अधिकतम 05 (पाँच) कर्मियों के अधीन प्रति कर्मी 1,500/– (एक हजार पाँच सौ) रुपये प्रति माह के पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति। यह प्रतिपूर्ति बिहार के निवासियों के संबंध में ही अनुमान्य होगा।

4. इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 2825 दिनांक 27.12.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

5. बिहार पर्यटन नीति 2023 में किये गये उपरोक्त संशोधनों की स्वीकृति के प्रस्ताव पर दिनांक 19.03.2025 को मद संख्या– 36 के रूप में मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

6. इन संशोधनों के आलोक में बिहार पर्यटन नीति मार्गदर्शिका 2024 में भी संशोधन किया जायेगा।

7. उपरोक्त वर्णित संशोधित प्रावधान संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पर्य०वि०(स्था०)– 31/2014 खण्ड–II ...../प०वि०, पटना दिनांकः–.....
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पर्य०वि०(स्था०)– 31/2014 खण्ड–II 1017 /प०वि०, पटना दिनांकः–21-3-2025
प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/ सभी सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०/निदेशक, पर्यटन निदेशालय/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग/आई० टी० मैनेजर, पर्यटन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

21/3/2025